प्रतिवेदन

परियोजना का नाम– जनपद पिथौरागढ में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, डीडीहाट आदिचौरा पी0डब्लू0डी0 मोटर मार्ग से हुनैरा मोटर मार्ग किमी0 0.00 से 9.00 तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूपर से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावट को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोडने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उक्त के क्रम में ग्रामीण निर्माण विभाग में पत्रांक संख्याः 1935/P3 URRDA/ dated 07.10.2013 द्वारा डी0पी0आर0 के अर्न्तगत अनुमोदित किया गया है।

हुनैरा (CC 939200 H 115 P.P 425) बसावट अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुडा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगें, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाम भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेंणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में आरक्षित वन भूमि शून्य है0, नाप भूमि 0.54 हे0, सिविल सोयम भूमि 7.56 हे0 एवं मलवा निस्तारण हेतु सिविल सोयम भूमि 0648 हे0 प्रभावित हो रही है, जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 समरेखणों पर विचार किया गया है। जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग– अलग रंग से दर्शाया गया है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं0 2 को निरस्त कर समरेखण नं0 1 को अनुमोदित किया गया है। इन दोनों समरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण नं0 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 9.00 कि0मी0 लम्बाई में ग्रामीण निर्माण विभाग के मानकों के अनुसार 9 मीटर चौडाई में आने वाली आरक्षित वन भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि हे0, सिविल सोयम भूमि 7.56 हे0 एव मलवा निस्तारण हेतु सिविल सोयम भूमि 0.648 कुल सिविल वन भूमि 7.56 प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्ताव गठित कर भारत सरकार को प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ट अभियन्ता	**सहायक अभियन्ता**	**अधिशासी अभियन्ता**
ग्रामीण निर्माण विभाग,	ग्रामीण निर्माण विभाग,	ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी0आई0यू0,पी0एम0जी0एस0वाई0	पी0आई0यू0,पी0एम0जी0एस0वाई0	पी0आई0यू0,पी0एम0जी0एस0वाई0
डीडीहाट(पिथौरागढ़)	डीडीहाट(पिथौरागढ़)	डीडीहाट(पिथौरागढ़)